प्रेस नोट थाना बण्डा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 15.09.25

थाना बण्डा पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

"थाना बण्डा पुलिस द्वारा मु0अं0सं0 466/2025 में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्वयाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया व क्षेत्राधिकारी पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियो की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र / अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के दौरान आज दिनाँक 15.09.2025 को थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 09.09.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 466/2025 **धारा 3(5)/105/131 BNS** के वादी श्री अनिल कुमार उर्फ बब्लू पुत्र रामरतन निवासी मोहल्ला बाबाचरनदास कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर की लिखित तहरीर पर वादी की पत्नी सोनी देवी उर्फ सुनीता पत्नी अनिल निवासी मोहल्ला बाबाचरनदास कालोनी थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर को वादी के भाई की पत्नी नन्ही देवी पत्नी मुकेश व मुकेश पुत्र रामपाल निवासीगण बाबाचरनदास कालोनी थाना बण्डा व नन्ही देवी का भाई रवि पुत्र श्यामबिहारी निवासी ग्राम टाह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा एक राय होकर सुनीता से मारपीट करने व घरेलू धारदार चाकू से नन्ही देवी द्वारा सुनीता को चाकू से हमला कर घायल कर देने व सीएचसी बण्डा में इलाज के दौरान वादी की पत्नी सोनी देवी उर्फ सुनीता की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में बनाम 1. नन्ही देवी पत्नी मुकेश 2. मुकेश पुत्र रामपाल निवासीगण बाबाचरनदास कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर 3. रवि पुत्र श्यामबिहारी निवासी ग्राम टाह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर के विरूद्ध पंजीकृत की गयी थी। जिसमें दिनांक 09.09.2025 अभियुक्ता 1. नन्ही देवी पत्नी मुकेश निवासी बाबाचरनदास कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर को पटनी तिराहे से समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार शाहजहाँपुर दाखिल किया गया था। आज दिनांक 15.09.2025 को मुखबिर की सूचना म0उ0नि0 साक्षी त्यागी मय हमराह का0 731 जरनैल सिंह द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र रामपाल निवासी बाबाचरनदास कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर को **तिकुनिया तिराहे से 1.5 किमी आगे नभीची रोड** पर **समय करीब 10.20 बजे** गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

मुकेश पुत्र रामपाल निवासी बाबाचरनदास कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 466/25 धारा 3(5)/105/131 BNS थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

तिकुनिया तिराहे से 1.5 किमी आगे नभीची रोड पर दिनांक 15.09.2025 को समय करीब 10.20 बजे

पूछताछ का विवरणः-

श्रीमती मुकेश पुत्र रामपाल निवासी बाबा चरनदास कालोनी थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम मुकेश है। दिनांक 15.09.2025 को मेरे भाई की पत्नी सुनीता व मेरी पत्नी नन्ही देवी के बीच बच्चो की

कहासुनी को लेकर झगडा हो गया था। झगडे के दौरान मेरा भी मेरे भाई अनिल से वाद विवाद होने लगा था। इसी दौरान गुत्थम गुत्था में मेरी पत्नी के हाथ एक चाकू लग गया जो उसने अपने बचाव में सुनीता को मार दिया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः –

1. श्री प्रदीप कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
2. म0उ0नि0 साक्षी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 731 जरनैल सिंह थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर